प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 28-11-2020

अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन एवं श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 27-11-2020 को पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही।

- 01- थाना जोगिया जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 0162/2020 धारा 147,149,323,504,506,308 भादिव0 में वांछित अभियुक्त तौलन पुत्र रामबिलास सा0 टिकरिया थाना जोगिया जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।
- 02- थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त रहमत अली पुत्र जंगी सा0 दुबायल तिवारी थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 05 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 244/2020 60 आब0 अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।
- 03- थाना उसका जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त जनार्दन पुत्र रामवृक्ष साहनी सा0 गुगुलीया थाना उसका जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 10 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 239/2020 60 आब0 अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

02 <u>प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 28-11-2020</u> 40 लीटर अवैध देशी शराब बरामद, कुल 4 अभियुक्त गिरफ्तार

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण व श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के निर्देशन और श्री तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक ढेबरूआ के नेतृत्व में उप-निरीक्षक श्री राजेश कुमार मौर्य, प्रभारी चौकी कठेला और उप-निरीक्षक श्री हसीन आजमी द्वारा हमराह पुलिस बल के साथ दिनाँक 27.11.2020 की देर शाम को ग्राम बालानगर में बेकर यादव के खेत के पास से कुल चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से अलग अलग पिपिया में कुल 40 लीटर अवैध देशी शराब बरामद हुआ। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना ढेबरूआ में सभी 4 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग का पंजीकरण कर विवेचनात्मक कार्यवाही संपादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

- 1. कुंजी देवी पत्नी स्व. राजाराम केवट निवासी तौलिहवा टोला बालानगर थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर।
- 2. झेलाऊ पुत्र हनुमान प्रसाद निवासी बजराभरी थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर।
- 3. बुद्धिराम चौरसिया पुत्र नंदराम निवासी कठेला शर्की टोला ब्रह्मपुरा थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर।
- 4. लुटावन दाढ़ी पुत्र भोथे दाढ़ी निवासी बजराभरी थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर।

पंजीकृत अभियोग

मु.अ.सं. संख्या: 304/2020, 305/2020, 306/2020, 307/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम। बरामदगी-

40 लीटर अवैध देशी शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1. उप-निरीक्षक श्री राजेश कुमार मौर्य, प्रभारी चौकी कठेला थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।
- 2 उप-निरीक्षक श्री हसीन आजमी, चौकी कठेला थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर।
- 3 .हे0का0 संजीत श्रीवास्तव थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।
- 3. हे0का0 रामस्वरूप चौकी कठेला थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।
- 4. कांस्टेबल रामेश्वर, चौकी कठेला थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।
- 5. कांस्टेबल राम अवधेश,चौकी कठेला थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।
- महिला कांस्टेबल रुनझुन राय थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 28-11-2020

समाधान दिवस थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर

श्री रामअभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा " शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण व थाने पर समाधान दिवस के आयोजन " के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के क्रम में व श्री माया राम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री उमेश शर्मा क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के निर्देशन में आज दिनांक 28.11.2020 को श्री रणधीर कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर की अध्यक्षता में थाना परिसर त्रिलोकपुर में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें कुल 5 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए।

04 प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 28-11-2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में व श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर व श्री उमेश शर्मा, क्षेत्राधिकारी, डुमिरयागंज के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 28.11.2020 को प्रभारी निरीक्षक श्री रवीन्द्र कुमार सिंह व द्वारा यातायात माह नवंबर के दृष्टिगत रफी मेमोरियल इंटर कॉलेज चकचई में छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों का पालन करने व लोगों को जागरूक करने हेतु बताया गया । लाउडस्पीकर से लोगों को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक किया ॥ इस मौके पर क्षेत्र के प्रधान व अन्य विरष्ठ व्यक्ति मौजूद रहे।

05 <u>*प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 28-11-2020*</u> *समाधान दिवस थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर*

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा " शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण व थाने पर समाधान दिवस के आयोजन " के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के क्रम में व श्री माया राम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री उमेश शर्मा, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के निर्देशन में आज दिनांक 28.11.2020 को श्री रवींद्र कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर की अध्यक्षता में थाना परिसर भवानीगंज में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के कानूनगो, राजस्व लेखपाल व क्षेत्र के फरियादी गण मौजूद रहे। जिसमें कुल 03 प्रार्थना पत्र प्राप्त कर 01 प्रार्थना पत्र का त्वरित निस्तारिण किया गया। अन्य प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु पुलिस व राजस्व टीम गठित कर मौके पर रवाना किया गया।

06 <u>*प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 28-11-2020*</u>

पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर की अध्यक्षता में थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर एवं थाना बांसी मे थाना समाधान दिवस का हुआ आयोजन ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 28-11-2020 को थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर एवं थाना बांसी में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा फरियादियों से उनकी समस्याओं को सुनकर वहां पर उपस्थित संबंधित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि राजस्व और पुलिस विभाग से सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण आपसी सामंजस्य से मौके पर जाकर किया जाये इसमें किसी भी स्तर पर हीलाहवाली क्षम्य नहीं होगी। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि सभी शिकायतकर्ता अपने शिकायती प्रार्थना पत्र में मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करे जिससे कि शिकायत निस्तारण में सहूलियत मिल सके। उक्त अवसर पर श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी सदर एवं संबन्धित थानाक्षेत्रों के थाना प्रभारी एवं राजस्व की टीमें मौजूद रही। इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त थानों पर भी थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया जिसमें थाना प्रभारियों की अध्यक्षता में प्राप्त शिकायत पत्रों को निस्तारण किया गया।

प्रेस नोट (थाना कोतवाली – बाँसी, सिद्धार्थनगर)

फर्जी बिड़ाल भरके तथा फर्जी दस्तखत व फर्जी आईडी बनाकर पैसा निकालने वाला अभियुक्त

गिरफ्तार व माल बरामदगी 25850 रूपये

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सिद्धार्थनगर, के कुशल निर्देशन में व श्री माया राम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सिद्धार्थनगर व श्री अरुण चन्द्र क्षेत्राधिकारी महोदय बांसी के पर्यवेक्षण में शैलेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली बांसी सि0नगर के निर्देशन में उ0नि0 भानु प्रताप सिंह मय हमराह के द्वारा मु0अ0स0 368/2020 धारा 419,420,467,468,471,120 बी भा0द0वि0 से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त जो डिडई स्टेट बैक से पैसा निकाला था जिसको गिरफ्तारकर अभियोग का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त के कब्जे से फर्जी बिड्राल भर कर निकाले गये पैसे की बरामदगी की गयी।

नाम पता अभियुक्तः-

1.परशुराम सिंह पुत्र संचित सिंह साकिन प्रहलाद दास कालोनी नरहरिया रोड थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0- 368 /2020 धारा 419,420,467,468,471,120 बी भा0द0वि0

बरामद माल का विवरण----.

- 01.25850 रुपये नकद
- 02. दो अदद फर्जी आधार कार्ड
- 03. एक अदद फर्जी वोटर आईडी
- 04.एक अदद फर्जी पासबुक

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले पुलिस टीम का विवरण:-

- 1. प्रभारी निरीक्षक शैलेश कुमार सिंह थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर
- 2. उ0नि0 भानु प्रताप सिंह चौकी प्रभारी डिड़ई थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर
- 3. उ0नि0 बैजनाथ शुक्ला चौकी डिड़ई थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर
- 4. का0बृजेश कुमार यादव चौकी डिडई थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर
- 5. का० आशुतोष सिंह चौकी डिडई थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर